

8/11

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तोडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल -

कश्जाना

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 532/25

दापर दिनांक 03.10.25

निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कश्जाना		<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम कश्जाना प.ह. कश्जाना खालास 1956 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

कश्जाना

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कश्जाना (ग्रामीण बैंक) का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है।

केशवराज सिंह

तहसीलदार (पू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (पू.अ.) कपासन